

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं०सं०-९/आ०-५-१/२०२६(स्वा०)/पटना, दिनांक

डा० नवेन्दु कुमार, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अमनौर, सारण के विरुद्ध सिविल सर्जन, सारण के पत्राक-५८८४ दिनांक-२७.११.२०२५ द्वारा ज्ञान ज्योति ग्रामोत्थान कल्याण समिति, सारण को एकरारनामा के शर्तों के अधीन कार्य नहीं लेने, अनियमित रूप से विपत्र का अधिक भुगतान करने एवं अन्य चिकित्सा पदाधिकारी को संस्थान का प्रभारी घोषित करने पर प्रशासनिक कार्य में बाधा उत्पन्न करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

२. डा० कुमार को वित्तीय अनियमितता बरतने एवं पदीय दायित्व के निर्वहन में उदासीनता, स्वेच्छाचारिता एवं कार्य के प्रति अभिरूची नहीं लेने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, २००५ के नियम-९(ि)(क) के तहत तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है।

३. डा० कुमार का निलंबन अवधि हेतु मुख्यालय, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

४. डा० कुमार को निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, २००५ के नियम-१० के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

५. सदर्थित आरोपों की जाँच हेतु इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु सकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।

६. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-९/आ०-५-१/२०२६(स्वा०).....१९९(९)...../पटना, दिनांक.....१९.०२.२६.....

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार पटना/प्रभारी वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, छपरा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, सारण प्रमडल, छपरा/सिविल सर्जन, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री (स्वा०) के आप्त सचिव/सचिव, स्वा० विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-डा० नवेन्दु कुमार, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अमनौर, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी २, ३, ७, ८, १०, १७ एवं १८A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, स्वा० विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

१९/०२/२०२६
सरकार के अवर सचिव।

Email